

## भारत में वस्तु एवं सेवा कर : एक अवलोकन

### सारांश

भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया जाना अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है बड़ी संख्या में केन्द्रीय एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर उन्हें एकल कर अर्थात् वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का रूप देने से करों की बहुतायत अथवा दोहरे कराधान की समस्या का समाधान बड़े पैमाने पर हो जाएगा और इसके साथ ही 'एक समान राष्ट्रीय बाजार' का मार्ग प्रशस्त हो गया है, उपभोक्ताओं की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वस्तुओं पर उन्हें अपेक्षाकृत कम कर अदा करना पड़ेगा, जो वर्तमान में लगभग 25–30 प्रतिशत के बीच है, यही नहीं, जीएसटी को लागू करने से भारतीय उत्पाद घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। अर्थशास्त्रियों एवं कर विश्लेषकों का मानना है कि जीएसटी आर्थिक विकास की गति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। जीएसटी का क्रियान्वयन सरल है, क्योंकि यह पारदर्शी है और इसका अनुपालन भी स्वतः हो सकेगा।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया जाना अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है बड़ी संख्या में केन्द्रीय एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर उन्हें एकल कर अर्थात् वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का रूपा देने से करों की बहुतायत अथवा दोहरे कराधान की समस्या का समाधान बड़े पैमाने पर हो जाएगा और इसके साथ ही 'एक समान राष्ट्रीय बाजार' का मार्ग प्रशस्त हो गया है, उपभोक्ताओं की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वस्तुओं पर उन्हें अपेक्षाकृत कम कर अदा करना पड़ेगा, जो वर्तमान में लगभग 25–30 प्रतिशत के बीच है, यही नहीं, जीएसटी को लागू करने से भारतीय उत्पाद घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। अर्थशास्त्रियों एवं कर विश्लेषकों का मानना है कि जीएसटी आर्थिक विकास की गति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। जीएसटी का क्रियान्वयन सरल है, क्योंकि यह पारदर्शी है और इसका अनुपालन भी स्वतः हो सकेगा।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक 2016 संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों के बीच समान व्यवहार के लिए कर प्रणाली की एकल व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करता है, जिस पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया गया है, इस विधेयक का केन्द्रीय तथा मूल विषय यह है कि 'करों' की दर कम हो।

**मुख्य शब्द :** वस्तु एवं सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर, संविधान संशोधन, केन्द्र, राज्य।  
**प्रस्तावना**

सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत वर्ष 2003 में केलकर समिति ने की थी, इसके बाद संप्रग सरकार ने वर्ष 2006 में जीएसटी विधेयक प्रस्तावित किया था, पहली बार यह विधेयक वर्ष 2011 में लाया गया था, जीएसटी व्यवस्था विश्व के 140 देशों में लागू है, वर्ष 1954 में जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश है, भारत की तरह की दोहरी जीएसटी व्यवस्था ब्राजील और कनाडा में भी है, वर्ष 2000 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने जीएसटी पर विचार के लिए विशेष अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था, समिति का अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता को बनाया गया असीम दासगुप्ता समिति को जीएसटी के लिए मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

वर्ष 2005 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आम बजट में जीएसटी के विचार को सार्वजनिक तौर पर सामने रखा था, वर्ष 2009 में जीएसटी के बारे में एक विमर्श पत्र रखा गया, बाद में सरकार ने राज्यों के वित मंत्रियों की एक अधिकार सम्पन्न समिति बनाई थी, वर्ष 2014 में तत्कालीन संप्रग



**अरुण सिंह**  
एसोसिएट प्रोफेसर,  
अर्थशास्त्र विभाग,  
बाबू शोभाराम राजकीय कला  
महाविद्यालय,  
अलवर

सरकार ने इससे सम्बन्धित विधेयक तैयार किया था, किन्तु लाक सभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण वह विधेयक पास नहीं हो सका, वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी केन्द्र सरकार इसे लोक सभा में लेकर आई और इसे स्थायी समिति में भेजा गया।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से सम्बन्धित संविधान संशोधन (122वाँ) विधेयक, 8 अगस्त, 2016 को लोकसभा में पास हो गया, सभी सदस्यों ने इस बिल के पक्ष में मत डाले, राज्यसभा ने 3 अगस्त, 2016 को जीएसटी विधेयक को सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिया था, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा इसका समर्थन किया जाना था, असम देश का पहला राज्य था जिसकी विधानसभा ने इस विधेयक का समर्थन किया, इसी क्रम में बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नागालैण्ड, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्खिम, मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, ओडिशा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राज्यों की विधान सभाओं द्वारा इस विधेयक को पारित किए जाने के बाद 8 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसी के साथ 122वाँ संविधान (101वाँ संशोधन) संशोधन अधिनियम, 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया।

#### **अध्ययन की आवश्यकता**

भारत में हाल ही में कर सुधारों के क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू करके अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक नया कर जीएसटी लागू किया गया। जिसमें पूर्व में लागू अधिकांश कर शामिल कर लिये गये हैं। चूंकि यह नया कर है जिसे भारत के व्यापारियों एवं शोधकर्ताओं को समझना आवश्यक है इसलिए इस विषय पर इस अध्ययन को केन्द्रित किया गया है और यही तथ्य इस अध्ययन की आवश्यकता तथा प्रासंगिकता को भी स्पष्ट करता है।

#### **अध्ययन के उद्देश्य**

अध्ययन के उद्देश्यों को भारत : अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

1. भारत में लागू विभिन्न प्रकार के करों का अध्ययन करना
2. जीएसटी से पहले भारत में लागू विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की कमियों का अध्ययन करना।
3. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की विस्तृत व्याख्या करना।
4. वस्तु एवं सेवा कर लागू करने में आने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना।
5. जीएसटी लागू करने से भारत में एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर की कल्पना को साकार करने वाले लक्ष्य का अध्ययन करना।
6. जीएसटी की कमियों एवं लाभों का मूल्यांकन करते हुए इसकी प्रासंगिकता का आकलन करना।

#### **अध्ययन की पद्धतियाँ**

विषय की व्याख्या और अध्ययन के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विषय के आयाम सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के हैं। अध्ययन की पकृति के

अनुरूप अध्ययन की पद्धति वर्णात्मक, विश्लेषणात्मक एवं समीक्षात्मक है।

विषय से सम्बन्धित आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए प्राथमिक स्रोतों की अपेक्षा द्वितीयक स्रोतों का ही अधिक प्रयोग किया गया है क्योंकि इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होने के कारण प्राथमिक स्रोतों से सम्पूर्ण एवं वास्तविक आंकड़े एकत्रित करना अत्यन्त कठिन एवं व्ययभारित होगा।

जीएसटी सम्बंधी आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद उनका सारणीयन के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले गये हैं।

#### **साहित्यावलोकन**

भारत में वस्तु एवं सेवा कर : एक अवलोकन के सन्दर्भ में किये गये इस शोध की आवश्यकता, उददेश्यों तथा शोध पद्धति का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर लिखे गये साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन किया गया है यथा –

अपूर्णत हल्दिया एवं मेघा हल्दिया द्वारा लिखित ग्रन्थ “जी.एस.टी.: समस्याएँ एवं समाधान” (2018) में भारत में लागू नए वस्तु एवं सेवा कर के सन्दर्भ में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा इन समस्याओं के लिए उचित समाधानों की भी व्याख्या प्रस्तुत ग्रन्थ में की गई है।

पंकज के सिंह द्वारा लिखित रचना “जीएसटी” (2017) में लेखक ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जून, 2017 को मध्यरात्रि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया। पुस्तक में आगे लिखा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राज्य एवं केन्द्र के अधिकांश कर इस अप्रत्यक्ष कर में शामिल हो गए हैं।

अनुप मोदी एवं महेश गुप्ता ने अपनी पुस्तक “जीएसटी: प्रैविट्स मैन्युल” (2017) में जीएसटी का अर्थ, जीएसटी की अवधारणा, जीएसटी लागू करने का समय, जीएसटी का मूल्य, जीएसटी पंजीयन, जीएसटी रिटर्न प्रोसेस, कर का भुगतान, ऑडिट तथा जीएसटी रेट की सूची आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

बसंती लाल बाबेल ने अपनी रचना “केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017” (2017) में जीएसटी लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये अधिनियम की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है।

उपर्युक्त विवेचन द्वारा शोध विषय से सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। समय तथा अन्य परिस्थितियों की सीमा में रहते हुए जो साहित्य सुलभ हो पाये, उन्हीं की यहाँ समीक्षा की गई है।

#### **वस्तु एवं सेवा कर**

भारत में वर्ष 1991 से कर सुधारों की जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, उसका उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान कर प्रणाली को लागू करना है, जिससे करारोपण की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाते हुए कर प्रणाली की जटिलता को कम किया जा सके। इससे सरकार के राजस्व में तीव्र वृद्धि की भी संभावना है।

इस संदर्भ में अप्रत्यक्ष करों में सुधार की दिशा में वैट (मूल्य सर्वर्दित कर) की अगली कड़ी के रूप में

“वस्तु एवं सेवा कर” एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, जिससे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य स्तरीय वेट, चुंगी, क्रय कर, विलासिता कर, मनोरंजन शुल्क, सेवा कर आदि शामिल है।

वस्तु एवं सेवा कर का आरोपण आपूर्ति एवं उपयोग के अंतिम चरण पर किया जाएगा। यह कर मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। इसमें प्रत्येक चरण पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से इसकी भरपाई करने की अनुमति होती है। इसमें ग्राहक को केवल आपूर्ति श्रृंखला के अंतिम चरण पर आरोपित कर का ही भुगतान करना होता है।

### **जीएसटी और केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध**

वर्तमान में केन्द्र और राज्यों के राजकोषीय अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है और इस लिहाज से दोनों के क्षेत्राधिकार एक-दूसरे से लगभग पूरी तरह भिन्न हैं, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार केन्द्र सरकार के पास वस्तुओं के उत्पादन (मानव के उपभोग वाली शराब, अफीम, मादक द्रव्य इत्यादि को छोड़कर) पर टैक्स लगाने का अधिकर है, जबकि राज्यों के पास वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार है, लेकिन कर को मूल राज्य द्वारा वसूला जाता है और इससे प्राप्त राजस्व पूरी तरह अपने पास रख लिया जाता है, सेवाओं के मामले में केवल केन्द्र को ही सेवा कर (सर्विस टैक्स) लगाने का अधिकार है चूंकि भारत में आयात होने अथवा भारत से निर्यात होने की स्थिति में वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर किसी भी प्रकार का कर लगाने का अधिकार राज्यों को नहीं है, इसलिए केन्द्र सरकार ही इस कर को अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में लगाती है एवं वसूलती है, जो मूल सीमा शुल्क के अलावा है, यह अतिरिक्त सीमा शुल्क (जो आमतौर पर सीवीडी; Counter Vailing Duty) और एसएडी (Special Additional Duty) के रूप में जाना जाता है) समान घरेलू उत्पाद पर लगने वाले उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, राज्य वेट और अन्य करों का प्रति-सन्तुलन करता है जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि केन्द्र और राज्यों को जीएसटी लागू करने के साथ-साथ इसे एकत्रित करने के लिए समवर्ती रूप से सशक्त बनाया जा सके।

### **जीएसटी का उद्भव**

जीएसटी की अवधारणा सर्वप्रथम तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मन्त्री पी. चिदम्बरम् द्वारा 2007-08 के आम बजट में प्रस्तुत की गई और यह आषा की गई कि जीएसटी को 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया जा सकेगा, राज्यों में वेट का स्वरूप तैयार करने वाले राज्यों के वित्त मन्त्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति से आग्रह किया गया कि वह जीएसटी का खाका और संरचना तैयार करे जीएसटी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और विशेषकर रियायतों एवं न्यूनतम सीमा, सेवाओं के कराधान तथा अन्तर-राज्य आपूर्ति के कराधान पर, रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ-साथ केन्द्र के भी

प्रतिनिधियों वाले अधिकारियों के संयुक्त कार्यदलों का गठन किया गया था, आन्तरिक चर्चाओं एवं केन्द्र सरकार के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर राज्य के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने नवम्बर 2009 में जीएसटी पर प्रथम परिचर्चा प्रपत्र जारी किया था इसमें प्रस्तावित जीएसटी की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और यही अब तक केन्द्र एवं राज्यों के बीच विचार-विमर्श का आधार रहा है।

जीएसटी लागू करना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना जरूरी था, संविधान संशोधन विधेयक को लोक सभा एवं राज्य सभा दोनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित कराने के साथ-साथ 15 राज्य विधानसभाओं से इसकी पुष्टि भी होनी थी, जीएसटी लागू करने के लिए केन्द्र और राज्यों को समवर्ती अधिकार सौंपने हेतु एक अनूठी संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता थी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि जीएसटी की संरचना, स्वरूपा एवं परिचालन के बारे में निर्णय दोनों ही द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाएँ।

### **संविधान (101वीं) संशोधन अधिनियम, 2016**

इन सभी के साथ-साथ अन्य मसलों को भी सुलझाने के उद्देश्य से संविधान संशोधन विधेयक 19 दिसम्बर, 2014 को 16वीं लोक सभा में पेश किया गया था, इस विधेयक में मानव के उपभोग वाली शराब को छोड़ समस्त वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाने का प्रावधान किया गया है यह कर अलग-अलग दोहरे जीएसटी के रूप में लगाया जाएगा, लेकिन समवर्ती रूप से केन्द्र (केन्द्रीय कर-सीजीएसटी) और राज्यों (विधायिका वाले केन्द्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और पुदुचेरी सहित) (राज्य-कर एसजीएसटी)/विधायिका बगैर केन्द्रशासित प्रदेश (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप) (केन्द्रशासित प्रदेश कर-चूटीजीएसटी) द्वारा लगाया जाएगा, संसद के पास वस्तुओं अथवा सेवाओं के अन्तरराज्य व्यापार या वाणिज्य (आयात सहित) पर जीएसटी (एकीकृत कर-आईजीएसटी) लगाने का विशिष्ट अधिकार होगा, केन्द्र सरकार के पास तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर जीएसटी के अलावा उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार होगा, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर पाँच विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर टैक्स बाद की किसी तिथि से लगाया जाएगा।

जीएसटी की दर, रियायत एवं न्यूनतम सीमा, विलय किए जाने वाले करों और अन्य विशेषताओं के बारे में सिफारिशें पेश करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद् (जीएसटीसी) का गठन किया गया। जिसमें केन्द्रीय वित्त मन्त्री, राज्य मन्त्री (राजस्व) और राज्यों के वित्त मन्त्री शामिल हैं। इस व्यवस्था से केन्द्र एवं राज्यों के बीच और इसके साथ ही समस्त राज्यों में जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर कुछ हद तक एकरूपता सुनिश्चित हो गई है जीएसटीसी के कुल सदस्यों का आधा हिस्सा जीएसटीसी की बैठकों का कोरम है, जीएसटीसी में कोई भी निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाता है, जो डाले गए भारित मतों के तीन-चौथाई से कम नहीं होता है, बहुमत के लिए केन्द्र

एवं न्यूनतम 20 राज्यों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि केन्द्र के पास डाले गए कुल मतों का एक—तिहाई भारांक (वेटेज) और सभी राज्यों के पास कुल मिलाकर डाले गए समस्त मतों का दो—तिहाई भारांक है।

संविधान संशोधन विधेयक को लोक सभा ने मई 2015 में पारित किया था, यह विधेयक 12 मई, 2015 को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया था, प्रवर समिति ने 22 जुलाई, 2015 को इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कुछ विशेष संशोधनों के साथ यह विधेयक अंततः राज्य सभा में पारित हो गया और इसके बाद लोक सभा ने अगस्त 2016 में इसे पारित कर दिया, इसके बाद आवश्यक संख्या में राज्यों द्वारा इस विधेयक की पुष्टि की गई और 8 सितम्बर, 2016 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तत्पश्चात् 16 सितम्बर, 2016 से यह संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूपा में अधिनियमित हो चुका है इस संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं—

1. संविधान में नया अनुच्छेद-246 ।(भाग—ग) जोड़ा गया, जो संघ और राज्य विधायिका को जीएसटी पर नियम बनाने की शक्ति देता है।
2. अनुच्छेद- 273। के तहत जीएसटी कॉउन्सिल का गठन किया गया, इसमें जीएसटी कॉउन्सिल की संरचना कार्य आदि का विधायन किया गया है।
3. कर की दर तय करने का काम जीएसटी कॉउन्सिल करेगी, जिसमें राज्यों के साथ केन्द्र सरकार की भी हिस्सेदारी होगी, जीएसटी कॉउन्सिल में सभी राज्यों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।
4. जीएसटी कॉउन्सिल द्वारा ही जीएसटी दायरे में या उससे मुक्त वस्तुओं का निर्णयन होगा।
5. जीएसटी कॉउन्सिल में विवाद की स्थिति में 67 प्रतिशत भारांक राज्यों के पास और 33 प्रतिशत भारांक केन्द्र के पास होगा।
6. मतदान के समय कॉउन्सिल के सदस्यों की कुल संख्या की तीन—चौथाई उपस्थिति अपरिहार्य है।
7. जीएसटी लागू होने पर राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की 5 वर्ष तक भरपाई केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने का वैधानिक प्रावधान है।
8. 1 अप्रैल, 2017 में जीएसटी लागू करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है, इसके क्रियान्वयन से केन्द्र और राज्यों के लगभग डेढ़ दर्जन परोक्ष कर समाप्त हो जाएंगे।

#### वस्तु एवं सेवा कर परिषद् (जीएसटीसी)

जीएसटीसी को 12 सितम्बर, 2016 से अधिसूचित किया गया है, जीएसटीसी को एक सचिवालय की ओर से सहायता सुनिश्चित की जा रही है, जीएसटीसी की अब तक 28 बैठकें हो चुकी है, जीएसटीसी द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं—

1. न्यूनतम छूट सीमा 20 लाख होगी, संविधान के अनुच्छेद 279ए में वर्णित विशेष श्रेणी के राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड) के लिए न्यूनतम छूट सीमा 10 लाख तय की गई है।

2. संयोजन न्यूनतम सीमा 50 लाख होगी, संयोजन योजना अन्तर्राज्य आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं (रिस्टरां सेवा को दोड़कर) और विशेष श्रेणी के निर्माताओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
3. केन्द्र अथवा राज्य सरकारों की मौजूदा कर प्रोत्साहन योजनाओं को सम्बन्धित सरकारें बजट के जरिए प्रतिपूर्ति करते हुए जारी रख सकती हैं, वहीं, इन योजनाओं को मौजूदा स्वरूप में ही जीएसटी के अंतर्गत जारी नहीं रखा जा सकेगा।
4. कर की चार दरें यथा 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, और 28 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं, इसके अलावा, कुछ वस्तुओं और सेवाओं को छूट प्राप्त मदों की सूची में रखा जाएगा, अर्थात् उन पर शून्य कर होगा बेषकीमती धातुओं (जैसे कि सोना) की दर को तय करना अभी बाकी है विलासिता वाली कुछ वस्तुओं के साथ—साथ नुकसानदेह वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की सर्वाधिक दर के अलावा उपकर भी 5 वर्षों तक लगाया जाएगा, ताकि जीएसटी को लागू करने से राज्यों को होने वाले किसी भी तरह के राजस्व नुकसान की भरपाई की जा सके, परिषद् ने वर्तमान कर संरचना को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की समिति से यह तय करने को कहा है कि किस स्लैब में कौन—कौनसी वस्तुएँ और सेवाएँ आनी चाहिए।
5. पाँच कानूनों यथा सीजीएसटीकानून, यूटीजीएसटी कानून, आईजीएसटी कानून, एसजीएसटी कानून और जीएसटी मुआवजा कानून की सिफारिश की गई है।
6. एकल इंटरफेस सुनिश्चित करने के लिए 5 करोड़ से कम के कारोबार वाले 90 प्रतिशत से ज्यादा करदाताओं पर राज्य कर प्रशासन का समस्त प्रशासकीय नियन्त्रण होगा, जबकि 10 प्रतिशत करदाताओं पर केन्द्रीय कर प्रशासन का समस्त प्रशासकीय नियन्त्रण होगा, इसके अलावा 1.5 करोड़ से ज्यादा के कारोबार वाले करदाताओं में से 50 प्रतिशत पर केन्द्रीय कर प्रशासन का समस्त प्रशासकीय नियन्त्रण और शेष 50 प्रतिशत पर राज्य कर प्रशासन का समस्त प्रशासकीय नियन्त्रण होगा।
7. आईजीएसटी अधिनियम के तहत भी अधिकार कुछ अपवादों को छोड़कर सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियमों की भाँति ही समान आधार पर दिए जाएंगे।
8. अवस्थित जल क्षेत्रों में जीएसटी के संग्रह का अधिकार केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाएगा।
9. जीएसटी मुआवजा उपकर के फॉर्मूल एवं इससे जुड़ी व्यवस्था को अतिम रूप दे दिया गया है।
10. इनपुट टैक्स (कच्चे माल पर कर) क्रेडिट, संरचना करारोपण, सक्रमणकालीन प्रावधान और मूल्य निर्धारण पर चार कानूनों की सिफारिश की गई है, इसके अलावा पंजीकरण, इनवॉयस, भूगतान, रिटर्न और वापसी (रिफ़ेड) पर उन पाँच कानूनों की भी सिफारिश की गई है, जिन्हें सितम्बर 2016 में अतिम रूप दिया गया था और संसद में पेश किए गए

- जीएसटी विधेयकों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया था।
11. 21 जुलाई 2018 को जीएसटी काउन्सिल की 28वीं बैठक में काउन्सिल ने टेलिविजन, फ्रिज, कारपेट जैसे तमाम उत्पादों पर जीएसटी दर काफी कम की है जबकि राखी, सैनिटरी नैपकीन, झाड़ू जैसे उत्पादों को कर मुक्त कर दिया गया है।
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की मुख्य विशेषताएं**
- जीएसटी की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—
1. वस्तुओं के उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर कर लगाने की मौजूदा अवधारणा के बजाय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाएगा।
  2. मूल स्थान आधारित कराधान के वर्तमान सिद्धान्त के बजाय गंतव्य स्थित उपभोग कराधान के सिद्धान्त के आधार पर जीएसटी लगाया जाएगा।
  3. यह एक दोहरा जीएसटी होगा जिसके तहत केन्द्र एवं राज्य एक साथ समान आधार पर इसे लगाएंगे, केन्द्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कहा जाएगा और राज्यों (विधायिका वाले केन्द्रशासित प्रदेशों सहित) द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कहा जाएगा, वहीं, बिना विधायिका वाले केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केन्द्रशासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) कहा जाएगा।
  4. वस्तुओं अथवा सेवाओं की अन्तर-राज्य आपूर्ति (स्टॉक हस्तांतरण सहित) पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जाएगा, इसका संग्रहण केन्द्र करेगा, ताकि क्रेडिट से जुड़ी श्रृंखला में कोई व्यवधान न आ सके।
  5. वस्तुओं के आयात को अन्तर-राज्य आपूर्ति माना जाएगा और इस पर देय सीमा शुल्क के अलावा आईजीएसटी भी लगेगा।
  6. सेवाओं के आयात को अन्तर-राज्य आपूर्ति माना जाएगा और इस पर आईजीएसटी लगेगा।
  7. सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी की दरे अंततः वे होंगी जिन पर जीएसटीसी के तत्वावधान में केन्द्र एवं राज्यों की सहमति होगी।
  8. जीएसटी निम्नलिखित करों का स्थान लेगा, जिन्हें वर्तमान में केन्द्र द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है
    - i. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
    - ii. उत्पाद शुल्क (औषधीय एवं प्रसाधन उत्पाद)
    - iii. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएँ)
    - iv. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद)
    - v. अतिरिक्त सीमा शुल्क (यह आम तौर पर सीवीडी के रूप में जाना जाता है)
    - vi. विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)
    - vii. सेवा कर
    - viii. वे उपकर और अधिभार जो वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हैं।

9. जीएसटी में समाहित किए जाने वाले राज्य कर लिम्नलिखित हैं—  
राज्य वैट  
केन्द्रीय बिक्री कर  
खरीद कर  
विलासिता कर  
प्रवेश कर (सभी तरह के)  
मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर को छोड़कर)  
विज्ञापनों पर कर  
लॉटरियों, सट्टेबाजी एवं जुएं पर लगने वाले कर  
राज्यों के वे उपकर और अधिभार जो वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हैं।
10. जीएसटी को मानव के उपभोग वाली शराब को छोड़कर समस्त वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाएगा।
11. पाँच विशेष पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस) पर जीएसटी उस दिनांक से लगाया जाएगा जिसकी सिफारिश जीएसटीसी करेगी।
12. तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों पर जीएसटी लगेगा, इसके अलावा, केन्द्र सरकार इन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भी लगाती रहेगी।
13. सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पर एक समान न्यूनतम छूट सीमा लागू होगी, 20 लाख के वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं (संविधान के अनुच्छेद 279ए में वर्णित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख) को जीएसटी से छूट होगी, 50 लाख तक के वार्षिक कारोबार वाले छाटे करदाताओं (उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं की विशेष श्रेणी सहित) को एक सहमति (कम्पाउडिंग) विकल्प (अर्थात् क्रेडिट के बगैर एक समान यानी फ्लैट दर से टैक्स अदा करना) दिया जाएगा न्यूनतम छूट सीमा और कम्पाउडिंग योजना वैकल्पिक होगी।
14. छूट प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची न्यूनतम रखी जाएगी और केन्द्र तथा राज्यों के साथ-साथ, जहाँ तक सम्भव हो सकेगी, समस्त राज्यों में इस मामले में एकरूपता रखी जाएगी।
15. निर्यात जीरो-रेटेड होगा।
16. कच्चे माल (इनपुट) पर अदा किए गए सीजीएसटी से सम्बन्धित क्रेडिट का उपयोग केवल तैयार उत्पाद (आउटपुट) पर सीजीएसटी अदा करने के लिए किया जा सकता है, इस तरह कच्चे माल पर अदा किए गए एसजीएसटी/यूटीजीएसटी से सम्बन्धित क्रेडिट का इस्तेमाल तैयार उत्पाद पर एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अदा करने के लिए किया जा सकता है दूसरे शब्दों में आईजीएसटी के भुगतान के लिए अंतर-राज्य आपूर्ति की विशेष स्थितियों को छोड़कर किसी और स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की दो धाराओं का इस्तेमाल एक-दूसरे के लिए नहीं

- किया जा सकता है, क्रेडिट का उपयोग निम्नलिखित रूप में करने की अनुमति होगी—
17. सीजीएसटीके आईटीसी का उपयोग उसी क्रम में सीजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान के लिए करने की अनुमति।
  18. एसजीएसटी के आईटीसी का इस्तेमाल उसी क्रम में एसजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान के लिए करने की अनुमति।
  19. यूटीजीएसटी के आईटीसी का उपयोग उसी क्रम में यूजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान के लिए करने की अनुमति।
  20. आईजीएसटी के आईटीसी का इस्तेमाल उसी क्रम में आईजीएसटी, सीजीएसटी एवं एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए करने की अनुमति।
  21. सीजीएसटी के आईटीसी का उपयोग एसजीएसटी / यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है, इस तरह एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के आईटीसी का इस्तेमाल सीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।
  22. समय—समय पर केन्द्र और राज्य के बीच खातों का निपटारा किया जाएगा, ताकि आईजीएसटी के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए एसजीएसटी के क्रेडिट का मूल राज्य द्वारा केन्द्र को अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। इसी तरह एसजीएसटी के भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए आईजीएसटी का अंतरण केन्द्र द्वारा गंतव्य राज्य को किया जाएगा, इसके अलावा, बी2सी आपूर्तियों पर एकत्रित आईजीएसटी के एसजीएसटी हिस्से का भी अंतरण केन्द्र द्वारा गंतव्य राज्य को किया जाएगा करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न में निहित सूचनाओं के आधार पर ही धनराशि का अंतरण किया जाएगा।
  23. इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का आधार विस्तृत होगा, जिसके तहत व्यवसाय के दौरान इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल के इरादे वाली वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों ही की आपूर्ति पर अदा किए गए करों के सन्दर्भ में इस क्रेडिट को उपलब्ध कराया जाएगा।
  24. विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न निर्दिष्ट तिथियों तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिटर्न भरना होगा।
  25. कर अदाएगी के लिए करदाताओं के पास अनेक विकल्प होंगे जिनमें इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और राष्ट्रीय इनेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी)/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) शामिल है।
  26. आपूर्ति को प्राप्त करने वाले सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों और सरकारी एजेंसियों सहित कठिपप्य व्यक्तियों पर उन आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान अथवा उनके खाते में डाली गई धनराशि पर 1 प्रतिशत की दर से टैक्स काटने का दायित्व होगा जिनकी आपूर्ति का कुल मूल्य किसी भी अनुबन्ध के तहत 2.5 से ज्यादा होगा।

27. करदाता अथवा टैक्स का वहन करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त तिथि से दो वर्ष के भीतर कर रिफंड की माँग करनी होगी।
28. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों पर उस दर से 'स्रोत पर कर' संग्रहित करने का दायित्व होगा जो उनके पोर्टल के जरिए वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वालों को किए गए भुगतान, कर योग्य आपूर्तियों के शुद्ध मूल्य के 1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।
29. पंजीकृत व्यक्ति देय करों का स्व-आकलन कर सकेंगे।
30. पंजीकृत व्यक्तियों का ऑडिट कराया जाएगा, ताकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन का सत्यापन हो सके।
31. माँग किए जाने की अवधि की सीमा सामान्य मामलों में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि अथवा करों की कम अदाएगी अथवा भुगतान न किए जाने की स्थिति में माँग किए जाने के लिए त्रुटि-पूर्ण रिफंड की तारीख अथवा त्रुटिपूर्ण रिफंड एवं इसके अधिनिर्णय की तिथि से लेकर 3 साल तक होगी।
32. माँग किए जाने की अवधि की सीमा धोखाधड़ी, तथ्य छिपाने या जानबूझकर गलत बयानी के मामलों में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि अथवा करों की कम अदाएगी अथवा भुगतान न किए जाने की स्थिति में माँग किए जाने के लिए त्रुटिपूर्ण रिफंड की तारीख अथवा त्रुटिपूर्ण रिफंड एवं इसके अधिनिर्णय की तिथि से लेकर 5 साल तक होगी।
33. बकाया कर की वस्तुली विभिन्न तरीकों से की जा सकेगी जिसमें चूक करने वाले कर योग्यव्यक्ति की वस्तुओं, चल एवं अचल सम्पत्ति पर रोक लगाना एवं बेचना भी शामिल है।
34. अधिकारियों के पास निरीक्षण, तलाशी लेने, जब्त करने एवं गिरफ्तार करने के प्रतिबंधात्मक अधिकार होंगे।
35. अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेशों के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई के लिए केन्द्र द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। राज्य सम्बन्धित एसजीएसटी अधिनियम में न्यायाधिकरण से सम्बन्धित प्रावधानों को अपनाएंगे।
36. प्रस्तावित कानून के प्रावधान का उल्लंघन करने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
37. राज्यों द्वारा अग्रिम निर्णय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, ताकि करदाता विभाग से कराधान सम्बन्धी मसलों पर बाध्यकारी स्पष्टता की माँग कर सकें। केन्द्र सीजीएसटी अधिनियम के तहत इस तरह के प्राधिकरण को अपनाएंगा।
38. मुनाफाखोरी रोधी अनुच्छेद की भी व्यवस्था की गई है, ताकि कारोबारी वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों पर देय टैक्स में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को अवश्य ही दें।
39. मौजूदा करदाता जीएसटी व्यवस्था को आसानी से अपना सकें, इसके लिए विस्तृत संक्रमणकालीन प्रावधान किए गए हैं,

**जीएसटी से लाभ  
मेक इन इण्डिया**

1. भारत में 'एकीकृत एक समान राष्ट्रीय बाजार' सृजित करने में मदद मिलेगी, जिससे विदेशी निवेश और 'मेक इन इण्डिया' अभियान को नई गति मिलेगी।
2. करों का भार कम होगा, क्योंकि आपूर्ति के प्रत्येक चरण में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।
3. कानूनों, प्रक्रियाओं और कर दरों में एकरूपता आएगी।
4. इससे निर्यात् एवं विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे और इस तरह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होगी। यही नहीं, लाभप्रद रोजगार सृजित होंगे जिससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी।
5. इससे अंततः और ज्यादा रोजगारों एवं वित्तीय संसाधनों के सृजन से गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी।
6. विशेषकर निर्यात् से सम्बन्धित करों का और अधिक निष्प्रभावीकरण सुनिश्चित होगा जिससे हमारे देश के उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे, जिससे भारतीय निर्यात् को बढ़ावा मिलेगा।
7. देश में समग्र निवेश माहौल बेहतर होगा जिससे स्वाभाविक रूप से राज्यों में विकास की गति तेज होगी।
8. एसजीएसटी और आईजीएसटी दरें एक समान होने से पड़ोसी राज्यों और राज्य के भीतर ही होने वाली बिक्री पर दर के मामले में मिलने वाली बढ़त खत्म हो जाएगी, जिससे कर चोरी की गुंजाइश कम हो जाएगी।
9. कम्पनियों पर औसत कर भार घट जाने के आसार हैं जिससे कीमतें घट जाने की आशा है कीमतें घट जाने से उपभोग बढ़ जाएगा, जिससे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे में विभिन्न उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी, इससे भारत एक 'विनिर्माण केन्द्र (gc)' के रूप में उभर कर सामने आएगा।

**कारोबारी सुगमता**

1. कर व्यवस्था आसान होगी और इसके साथ ही रियायतों की संख्या कम होगी।
2. खौजूदा समय हमारी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में करों की बहुतायत है, जिसमें कमी सुनिश्चित होगी और ऐसे में सरलता एवं एकरूपता आएगी।
3. अनुपालन लागत घट जाएगी क्योंकि 'विभिन्न' करों का अलग-अलग रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी, अतः जीएसटी को लागू करने पर टैक्स रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए संसाधनों एवं श्रमबल में अधिक निवेश नहीं करना पड़ेगा।
4. पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, कर भुगतान इत्यादि से जुड़ी प्रक्रियाएं सरल एवं स्वचालित होंगी।
5. सारी बातचीत साझा जीएसटीएन पोर्टल पर ही हो सकेगी, इससे करदाताओं और कर प्रशासन के बीच परस्पर बातचीत की आवश्यकता कम हो जाएगी।

6. इससे अनुपालन का माहौल बेहतर हो जाएगा क्योंकि समस्त रिटर्न ऑनलाइन भरें जाएंगे, इनपुट क्रेडिट का सत्यापन ऑनलाइन हो सकेगा, इससे लेन-देन के लिखित प्रमाण को बढ़ावा मिलेगा।
7. करदाताओं के पंजीकरण एवं टैक्स रिफंड की एकसमान प्रक्रियाओं, टैक्स रिटर्न के एकसमान प्रारूप, एक समान कर आधार और वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्गीकरण की एकसमान प्रणाली से कराधान प्रणाली में और ज्यादा निश्चितता आएगी।
8. महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे कि पंजीकरण, रिफंड इत्यादि प्राप्त करने के लिए समय सीमा तय की जाएगी।
9. देश भर में इनपुट टैक्स क्रेडिट का इलेक्ट्रॉनिक मिलान सम्भव हो पाएगा, इस तरह प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी एवं स्पष्ट हो जाएगी।

**उपभोक्ताओं को लाभ**

1. निर्माता, खुदरा विक्रेता तथा सेवा आपूर्तिकर्ता के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह से वस्तुओं की अन्तिम कीमतें कम होने की आशा है।
2. आशा की जाती है कि बड़ी संख्या में छोटे खुदरा विक्रेताओं को या तो कर से छूट मिलेगी या उन पर सयुक्त योजना के अन्तर्गत बहुत कम टैक्स लगेगा। अतः उपभोक्ता ऐसे विक्रेताओं से कम दाम में वस्तु खरीद सकेंगे।
3. कम्पनियों पर औसत कर बोझ कम रहने की सम्भावना है जिससे कीमतें घट जाने की आशा है, मूल्य में कम का अर्थ है अधिक उपभोग।

**वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीसएसटीएन)**

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का गठन सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की पूर्व धारा 25 के अन्तर्गत निजी कम्पनी के रूप में किया गया है, जीएसटीएन करदाताओं को तीन तरह की सेवाएं देगा, ये हैं—पंजीकरण, भूगतान और रिटर्न सम्बन्धी सेवा, करदाताओं को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के अलावा जीएसटीएन उन 25 राज्यों के लिए बैंक-एण्ड आईटी मॉड्यूल्स विकसित करेगा जिन्होंने इस प्रकार का विकल्प चुना है, वर्तमान करदाताओं को नई व्यवस्था के अन्तर्गत लाने का कार्य (माइग्रेशन) नवम्बर 2016 से ही प्रारम्भ हो गया है केन्द्र और राज्यों के राजस्व विभाग मौजूदा पंजीकृत करदाताओं से वस्तु तथा सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा संचालित आईटी प्रणाली पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का आग्रह कर रहे हैं, ताकि उनका सफलतापूर्वक माइग्रेशन हो सके, लगभग 60 प्रतिशत वर्तमान पंजीयनकर्ता जीएसटी प्रणाली अपना चुके हैं, जीएसटीएन ने प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) के रूप में मैसर्स इनफोसिस को 5 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 1380 रु करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ पहले ही नियुक्त कर लिया है।

जीएसटीएन ने 34 आईटी, आईटीइएस तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी कम्पनियों को चुना है जिन्हें जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपी) कहा जाएगा, जीएसपी एप्लीकेशन विकसित करेगा, जिसका इस्तेमाल करदाता जीएसटीएन के साथ सम्पर्क के लिए करेंगे।

### मूल्यांकन

केंद्र सरकार ने एक जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया है, यह अप्रत्यक्ष करों की एकीकृत व्यवस्था है, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में 17 से अधिक अलग—अलग तरह के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त किया है, ये सभी जीएसटी में शामिल हो गए हैं, सरकार ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है, एक देश—एक टैक्स के मकसद को पूरा करने के लिए सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाए है।

जीएसटी व्यवस्था के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, इसके लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था में तमाम उतार—चढ़ाव भी आए,, इस नई व्यवस्था को शुरू हुए अब एक साल से अधिक का समय हो चुका है

वित्त मंत्रालय ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की, इसमें सरकार ने बताया कि जीएसटी से 31 जुलाई, 2018 तक एक लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, इसकी तुलना में कुल 96,483 करोड़ रुपये का कुल जीएसटी राजस्व अर्जित किया गया है, इसमें 15,877 करोड़ केंद्रीय जीएसटी, 22,293 करोड़ राज्य जीएसटी, 49,951 करोड़ एकीकृत जीएसटी (जिसमें 24,852 करोड़ रुपये आयात से ) 8,362 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में दिए हैं, इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर दो प्रमुख बातें साफ होती हैं पहला, जून 2018 में जीएसटी से कुल आय 95,610 करोड़ से बढ़कर जुलाई, 2018 में 96,483 करोड़ रुपये हो गई है, यह जीएसटी परिषद की ओर से निर्धारित लक्ष्य एक लाख करोड़ से तकरीबन 3,517 करोड़ रुपये कम है, इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने अप्रैल—मई 2018 में राज्यों को 3,899 करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में दिए हैं।

अप्रत्यक्ष कर संग्रह अगर लक्ष्य से कम रहता है तो उसे एक चुनौती के रूप में देखा जाता है, कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम बहुल है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में बड़ा अंतर है, देश में कुल श्रमबल का 8 फिसदी हिस्सा ही संगठित क्षेत्र में काम करता है, बाकी का 92 फिसदी हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है, इसलिए जब भी अप्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी आती है तो कर संग्रह लक्ष्य को पूरा करने का दबाव संगठित क्षेत्र के लोगों पर ही आ जाता है।

दूसरा, आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जून 2018 में जीएसटीआर 3B रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 64%<sup>69</sup> लाख से बढ़कर 66 लाख हो गई है। ये आंकडे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सकारात्मक संदेश देते हैं साथ ही साफ करते हैं कि भविष्य में अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ेगा।

जीएसटी के काफी हद तक सकारात्मक परिणाम आने की संभावना व्यक्त की जा रही है किन्तु इसे ओर

सकारात्मक बनाने के लिए शोधकर्ता का सुझाव है कि जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाना चाहिए। वर्तमान में चल रहे 28 फीसदी वाले स्लैब को हटाकर 12 फीसदी और 18 फीसदी वाले टैक्स स्लैब को मिलाकर एक नया स्लैब बनाया जा सकता है। अगर सरकार ऐसा निर्णय लागू करे तो जीएसटी एक कर वाली मूल भावना के निकट पहुंच सकता है।

### निष्कर्ष

कर—प्रणाली किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली की रीढ़ होती है। यह जितनी मजबूत होगी आर्थिक ढांचा अतना ही सुदृढ़ होगा। इस परिपेक्ष्य में “वस्तु एवं सेवा कर” से संवधित अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को भी देखे तो सकारात्मक एवं उत्साहजनक परिणाम दिखते हैं। भारत जैसी उभरती आर्थिक शक्ति के लिए आर्थिक सुधार अनिवार्य है। अतः वस्तु और सेवा कर संबंधी प्रावधानों पर केंद्र व राज्यों को सर्वसम्मति बनाते हुए इसे लागू कराना श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

इसके अलावा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर एकसमान करों की दर से एक राष्ट्रीय कॉमन बाजार के निर्माण में भी मदद मिलेगी। साथ ही कर प्रणाली का यह सुधार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं निवेश हेतु बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के निर्माण में भी सहायक होगा। इन सारे सूक्ष्म स्तरों पर होने वाले प्रभावों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर कहे तो कर संबंधी यह सुधार एक साथ आर्थिक संवृद्धि एवं विकास को गति प्रदान करने का काम करेगा।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हल्दिया, मेघा एवं हल्दिया, अर्पित, जी.एस.टी. : समस्याएँ एवं समाधान, पेपरबैक, 2018
2. सिंह, पंकज के, जीएसटी, डायमंड पेकेट बुक्स, 2017
3. मोदी, अनूप, गुप्ता, महेश, जीएसटी: प्रैविट्स मैन्युल, पेपरबैक, 2017
4. बाबेल, बंसती लाल, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, सैन्केन्ल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2017
5. विनोद, विपुल, क्या है जीएसटी, पी.एम.पब्लिकेशन्स, 2017
6. मेहरोत्रा, एच.सी, अग्रवाल, वी.पी., माल और सेवा कर, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2018
7. पटवर्धन, गोविंद, एसा है जीएसटी कायदा, सकल प्रकाशन, 2017
8. गुप्ता, प्रवीण, माहेश्वरी, दीप्ति, त्यागी, आर.के., वस्तु एवं सेवा कर, एस.बी. पी.डी पब्लिषिंग हाउस, 2018
9. गुप्ता, विनीत, गुप्ता, एन.के., गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स, भारत लॉ हाउस प्रा.लि. 2018
10. सिंह, अवधेश, जीएसटी मेड सिम्पल, सेन्ट्रेक्स पब्लिकेशन प्रा.लि. 2018